कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2788/11—सी—FP/UP/Others/18422/2016, लखनऊः दिनांकः मार्च 28,2018

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 प्रभाग,
सीतापुर।

विषयः— जनपद सीतापुर में बहराइच—बिसवां मार्ग किमी0 62 के मध्य दांयी पटरी पर ग्राम—पुरैनी, परगना व तहसील—बिसवां के खसरा संख्या 314 में इंडियन आयल कारपोरेशन लि0 द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0741 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक—5511/14—10—4, दिनांक—26.03.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः—

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न है, किंतु क्षेत्रफल में की गयी कटिंग प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है।
2. मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही हैं।
3. प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किंतु kml shp file की सी0डी0 संलग्न नही है।
4. प्रस्तावित वनभूमि पर शुद्व वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, केवल मोहर ही लगी है।
5. Eco Class के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु गुणनफल निकटतम पूर्ण रूपये में अंकित नहीं है। अतः संशोधित कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक एफ0नं0—11—29/2014 एफ0सी0, दिनांक 15.07.2014 एवं पत्रांक—268/2014—एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 के क्रम में बिन्दुवार सूचना सम्बन्धी प्रमाण के क्रमांक—2 में विवरण अंकित नहीं किया गया है।
7. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न है, किन्तु क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है एवं जिलाधिकारी की मोहर भी नहीं लगी है। अतः संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।
8. प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न है किन्तु प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है।
9. हार्डकापी भाग—2 में हरियाली घनत्व अंकित नहीं है।
10. प्रभागीय निदेशक की संस्तुति का हिन्दी वर्जन भाग—2 ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड नहीं है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 02 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
28/3

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2788/11—सी—FP/UP/Others/18422/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री), लखनऊ मण्डलीय कार्यालय, इंडियन आयल कार्पो0 लि0, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।

28/3

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1794